केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, हिंदी अनुभाग
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

फा.सं. 11025/19(1)/2023/केविसं(मु°)/हिं/ 13314-47

दिनांक :-07 अगस्त, 2026

ई-मेल द्वारा

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

एवं

निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सभी आंचलिक संस्थान

विषय :- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालयों में हिन्दी माह का आयोजन ।

महोदया/महोदय,

राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय के दिनांक 06-08-2026 के पत्रांक संख्या ई-12011/01/2022-रा.भा.ए.(प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों और केन्द्रीय विद्यालयों में हिंदी माह आयोजित किया जाना अपेक्षित है । तदनुसार इस वर्ष संगठन के सभी कार्यालयों में **शिक्षा मंत्रालय के निदेशानुसार "सितंबर 2026" को हिन्दी माह के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय / विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाए, तथापि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में ही मनाया जाए तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा उल्लिखित कार्यकम (संलग्न) के अनुपालन में इस माह में कार्यक्रमों को आयोजित करवाया जाए।**

तथापि हिंदी माह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना चाहिए :-

1. राजभाषा विभाग द्वारा समय –समय पर जारी किए गए अनुदेशों, संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति जी द्वारा जारी सभी खंडों पर आदेशों, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा संकल्प 1968 एवं वार्षिक कार्यक्रम इत्यादि से अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचित कराना ।
2. हिंदी में अधिक से अधिक काम करने के लिए अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों और गणमान्य अतिथि वक्ताओं द्वारा निर्देश जारी करना । हिन्दी के कार्यान्वयन के कार्यों में आने वाली कठिनाईयों पर विचार-विमर्श करना ।
3. हिंदी में तैयार सामग्री का प्रचार प्रसार-एवं वितरण ।
4. कार्यालयी विषयों से संबंधित हिंदी में प्रकाशित सामग्री, पुस्तकों, शब्दावलियों और पत्रिकाओं, हिंदी में चैक, टिप्पणी, पत्र, प्रारूप, फार्म, मानक मसौदे, चार्ट इत्यादि की प्रदर्शनी लगाना ।
5. हिंदी में टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि आदि की प्रतियोगिताएँ आयोजित करना एवं विजेताओं को पुरस्कार/प्रमाण-पत्र इत्यादि देकर प्रोत्साहित करना ।
6. राजभाषा हिंदी से संबंधित आवधिक रिपोर्टों के संबंध में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना ।
7. हिंदी में संपूर्ण शासकीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार/प्रमाण-पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित करना ।

जारी.......

8. कंप्यूटर पर यूनिकोड के माध्यम से टंकण ।
9. हिंदी शब्दों की वर्तनी और शुद्ध-अशुद्ध की जानकारी से अवगत कराना ।
10. राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई अन्य कार्य, गतिविधि जो राजभाषा नियमानुसार हो ।

अत: क्षेत्रीय कार्यालयों और शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों के सभी उपायुक्तों / निदेशकों से आग्रह है कि अपने अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालयों और कार्यालय में **01 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक हिंदी माह का आयोजन करें** तथा कार्यालय में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करें

भवदीया

07/08/2026

(नीलम)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि : -

1. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय (मु.) विद्यालय संगठन (मुख्यालय.), नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
2. निजी सचिव, अपर आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय.), नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
3. सहायक आयुक्त (आईटी) को केविसं (मु.) की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
4. उप-निदेशक (राजभाषा) शिक्षा मंत्रालय, कर्तव्य भवन -2, नई दिल्ली को सूचना हेतु ।
5. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, काठमांडू, मॉस्को और तेहरान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
6. गार्ड फाइल ।

फा. सं. ई.12011/01/2022-रा.भा.ए.
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
***

कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली
दिनांक: 06 अगस्त, 2026

परिपत्र

विषय: शिक्षा मंत्रालय के संबद्ध, अधीनस्थ विश्वविद्यालयों, संस्थानों, बोर्ड, परिषद, संगठन, समिति आदि में हिंदी माह का आयोजन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है कि शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ, संबद्ध संस्थानों आदि में शासकीय कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01 से 30 सितंबर, 2026 तक हिंदी माह मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान हिंदी विषयक विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं।

इस संबंध में, शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ संस्थानों, विद्यालयों आदि का राजभाषा संबंधी निरीक्षण के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप-समिति के माननीय संयोजक द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इन संस्थानों आदि द्वारा 14 सितम्बर, 2026 को हिंदी दिवस मनाया जाए एवं हिंदी माह के दौरान **संलग्न कार्यक्रम** के अनुसार प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए जाएं।

शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ, संबद्ध विश्वविद्यालयों, संस्थानों, बोर्ड, परिषद, संगठन, समिति आदि के प्रमुख से अनुरोध है कि वे अपने संस्थान आदि में संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

संलग्नक : यथोक्त।

ह०/-
(अजय कुमार झा)
उप निदेशक(राजभाषा)
दूरभाष : 011-14024912

सेवा में
सभी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, मुख्यालयों, बोर्डों, परिषदों आदि के प्रमुख

प्रतिलिपि सूचनार्थ:
संयुक्त सचिव (राजभाषा एवं प्रशासन)

अ
06/08/2026
(अजय कुमार झा)
उप निदेशक(राजभाषा)

***

<u>हिंदी माह-2026</u>

<u>कार्यक्रम</u>

दिनांक	कार्यक्रम
01 सितंबर, 2026	कार्यालय प्रमुख द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हिंदी माह का शुभारम्भ।
02 से 13 सितंबर, 2026	हिंदी विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन
14 सितंबर, 2026	माननीय मंत्री जी का संदेश पढ़ना एवं इसे सभी कार्मिकों के बीच परिचालित करना।
15 से 28 सितंबर, 2026	हिंदी विषयक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन
29 सितंबर, 2026	संघ की राजभाषा नीति के बारे में सामूहिक चर्चा/परिचर्चा का आयोजन।
30 सितंबर, 2026	उच्चाधिकारी, स्थानीय जन प्रतिनिधि (आमंत्रित) द्वारा पुरस्कार वितरण/समापन समारोह का आयोजन।
नोट : संस्थान आदि अपनी सुविधानुसार कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं परन्तु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपर्युक्त कार्यक्रम पूरे माह के दौरान आयोजित किया जाए।	

***